भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2200

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष आरोग्य केंद्रों का आकलन

2200. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्थापित योग, आयुर्वेद और अन्य आयुष आरोग्य केंद्रों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में देशभर में कार्यरत उक्त केंद्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त केंद्रों के सार्वजनिक उपयोग और स्वास्थ्य संबंधी निष्कर्षों के संबंध में कोई स्वतंत्र आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निधि को जारी करने में विलंब या प्रशासनिक अड़चनों के कारण कई स्वीकृत परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देशभर के आयुष संस्थानों में पहुंच, कर्मचारियों की तैनाती और जवाबदेही में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों (एससी) की 12500 इकाइयों को आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के रूप में संचालित करने के लिए उन्नत किया गया है, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में पुनर्नामित किया गया है। अनुमोदित और कार्यशील एएएम (आयुष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-I** पर दी गई है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 तक एएएम (आयुष) के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-II** पर दी गई है।

इसके अलावा, समुदाय की समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्थापित एएएम (आयुष) द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों/सेवाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय दल के दौरे के अलावा नीति आयोग द्वारा अन्य पक्षीय समीक्षा की जाती है और एनएबीएच मूल्यांकन भी किया जाता है। दौरा करने वाली टीमों द्वारा यह देखा गया है कि आयुष औषधालयों/उप स्वास्थ्य केंद्रों को एएएम (आयुष) में उन्नत करने के बाद एएएम (आयुष) में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि ओपीडी सेवाओं के अलावा ये सुविधा केंद्र प्रकृति परीक्षण और योग संबंधी गतिविधियाँ, सुविधा केंद्र स्तर के साथ-साथ समुदाय के स्तर पर सामान्य औषधीय पौधों आदि के उपयोग के बारे में जागरूकता जैसी विभिन्न अन्य सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं।

(घ): एनएएम के अंतर्गत, एसएएपी के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, एकीकृत आयुष अस्पतालों, आयुष शिक्षा संस्थानों (एईआई) आदि सहित विभिन्न परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। तथापि, एनएएम योजना के वास्तविक कार्यान्वयन का दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है, इसलिए प्रशासनिक अड़चनों से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन उनके स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत धनराशि जारी करने की प्रक्रिया और जारी की गई धनराशि के उपयोग की निगरानी के संबंध में समय-समय पर अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कभी-कभी राज्य शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहे और इस प्रकार स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अनुदान की बाद की किस्त जारी करने में बाधा का सामना करना पड़ा।

(ङ): एनएएम के अंतर्गत, आयुष मंत्रालय आयुष सेवाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए अवसंरचनात्मक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान कर रहा है, इसके अतिरिक्त एनएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार जनशक्ति के संबंध में भी सहायता प्रदान की जा रही है ताकि देश भर में आयुष संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्र स्तर तक आयुष सुविधाओं का सुचारू रूप से प्रचालन हो सकें।

संलग्नक-I

अनुमोदित और कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) (आयुष) और उनके लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**स्वीकृत एएएम (आयुष)**	**कार्यशील एएएम (आयुष)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	6	6
2	आंध्र प्रदेश	126	126
3	अरुणाचल प्रदेश	89	89
4	असम	500	500
5	बिहार	294	294
6	चंडीगढ़	12	12
7	छत्तीसगढ	400	400
8	दिल्ली	0	0
9	दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव	1	1
10	गोवा	100	100
11	गुजरात	365	365
12	हरियाणा	538	538
13	हिमाचल प्रदेश	740	740
14	जम्मू-कश्मीर	523	523
15	झारखंड	745	745
16	कर्नाटक	376	376
17	केरल	700	700
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	7	7
20	मध्य प्रदेश	800	800
21	महाराष्ट्र	390	390
22	मणिपुर	15	15
23	मेघालय	45	45
24	मिजोरम	41	41
25	नागालैंड	49	49
26	ओडिशा	422	422
27	पुडुचेरी	4	4
28	पंजाब	158	158
29	राजस्थान	2019	2019
30	सिक्किम	18	18
31	तमिलनाडु	650	650
32	तेलंगाना	421	421
33	त्रिपुरा	72	72
34	उत्तर प्रदेश	1034	1034
35	उत्तराखंड	300	300
36	पश्चिम बंगाल	540	540
कुल		**12500**	**12500**

संलग्नक-II

वर्ष 2021 से 2025 तक एएएम (आयुष) के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	2024	2025	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	11090	7982	9181	10648	38901
2	आंध्र प्रदेश	0	404115	703804	713523	617043	2438485
3	अरुणाचल प्रदेश	1401	25278	55348	71249	78589	231865
4	असम	0	28092	313319	3343870	6567817	10253098
5	बिहार	103269	194960	231661	291037	740783	1561710
6	चंडीगढ़	142899	200235	127474	120426	108832	699866
7	छत्तीसगढ	140285	1281136	2356871	2346115	2483446	8607853
8	दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	2670	26912	26648	56230
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	19180	53324	254962	366284	360763	1054513
11	गुजरात	951290	1578001	6333646	5807405	1652306	16322648
12	हरियाणा	2322803	2514230	2658480	2473949	3516138	13485600
13	हिमाचल प्रदेश	588655	736738	2331404	2342366	2523856	8523019
14	जम्मू-कश्मीर	0	2685966	3018269	2412595	2222007	10338837
15	झारखंड	123705	187363	1487747	2691204	3007433	7497452
16	कर्नाटक	606296	763257	1660552	1896859	1833580	6760544
17	केरल	1525596	5829043	6672089	8344225	7256661	29627614
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	8726	38515	55723	42215	52428	197607
20	मध्य प्रदेश	1274788	1601107	2590895	4611884	5592863	15671537
21	महाराष्ट्र	726140	764615	1073779	1517652	2072216	6154402
22	मणिपुर	737	946	5301	13853	21617	42454
23	मेघालय	0	0	37950	52198	85332	175480
24	मिजोरम	10060	34195	94639	126325	134773	399992
25	नागालैंड	1498	21480	38444	40948	46224	148594
26	ओडिशा	901085	6820072	1732981	2595883	2871953	14921974
27	पुडुचेरी	35557	57237	58978	62705	36344	250821
28	पंजाब	0	0	0	767453	769821	1537274
29	राजस्थान	1775405	8396431	17740280	39066293	48319142	115297551
30	सिक्किम	20778	35094	44061	47806	52697	200436
31	तमिलनाडु	30555959	25456637	11287166	13826356	14331878	95457996
32	तेलंगाना	3833738	2358802	2913265	2061093	1858894	13025792
33	त्रिपुरा	0	0	55385	103439	155071	313895
34	उत्तर प्रदेश	3759536	13245767	16445963	12427257	12058512	57937035
35	उत्तराखंड	163669	445740	1706811	1352831	1181869	4850920
36	पश्चिम बंगाल	1164213	8431205	4816907	3677126	3827432	21916883
	कुल	**50757268**	**84200671**	**88914806**	**115650517**	**126475616**	**465998878**